रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2018/भाद्र 26, 1940
No. 652] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018/BHADRA 26, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,17 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 887 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1984, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समूह क पद, भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति.**—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01* *(2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रितअनुसचिवीय ,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -.11	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त रीति द्वारा) प्रातिनियुक्ति + प्रोन्नति)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रातिनियुक्ति / प्रोन्नति – 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य हो तो, के ऐसे अधिकारी - (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो या; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में या समतुल्य पांच वर्ष की सेवा की हो और निम्नलिखित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं धारण करता हो – आवश्यक.— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासनिक, स्थापना कार्य करने में पाँच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1 :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में ऐसा विभागीय प्रशासनिक अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो पर भी

बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भर लिया गया समझा जायेगा। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 02/11/2012-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2018

G.S.R. 887 (E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, namely:-

1. **Short title commencement.—(1)** These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Senior Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of the posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of personsin accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Administrative Officer.	01* *(2018) Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix.	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method (Deputation plus Promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(11)
Deputation/Promotion 1. Officers of the Central Government or State Government or Union territories:- (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department or (ii) with five years' service in level-10 of pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; And Possessing following educational and other qualifications:- Essential:— (i) Degree of a recognised University or Institute; and (ii) five years' experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body. **Note-1:** The departmental administrative officer in the level-10 of pay matrix with five years' regular service in the grade will also be considered along-with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note-2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note.-3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications'.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with UPSC is necessary.

[F.No. 02/11/2012-CSZ]
MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.22 11:42:09 +05'30'